



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1406/UK/2/2023-ESDW

दिनांक: 20.06.2023

सेवा में,

श्री नितेश कुमार झा,
सचिव,
पंचायती राज विभाग,
उत्तराखंड शासन,
सचिवालय भवन,
राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड -248001
ईमेल: secynkjha@gmail.com

श्री युगल किशोर पंत,
कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,
जिला-उधम सिंह नगर,
कलेक्ट्रेट कंपाउंड, रुद्रपुर
उधम सिंह नगर, उत्तराखंड
ई-मेल: dm-usn-ua@nic.in

श्री टी. सी. मंजूनाथ,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला-ऊधम सिंह नगर
रुद्रपुर, उत्तराखंड- 263153
ईमेल- ssp-usn-ua@nic.in

विषय: जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद- ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड के द्वारा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र की विकास योजनाओं को अनुमोदित न करने और क्षेत्र की जनजातीय जनसंख्या का उत्पीड़न किए जाने के सम्बन्ध में सुश्री सुमन सिंह, पुत्री श्री श्याम सिंह, (जिला पंचायत सदस्य), ग्राम- खेमपुर, विकास खण्ड व तहसील- गदरपुर, जिला-ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड का दिनांक 15.02.2023 का अभ्यावेदन।

उपरोक्त विषय पर उत्तराखंड शासन, जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड से प्राप्त उत्तर/पत्र दिनांक 22.05.2023 व 10.05.2023, 31.03.2023 की (प्रति संलग्न) की छायाप्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी थी जिससे असंतुष्ट होकर अभ्यावेदक सुश्री सुमन सिंह ने दिनांक 01.06.2023 का रिजॉइंडर आयोग को भेजा है, उक्त रिजॉइंडर की प्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की रेजोइन्डर में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के 07 दिनों की अवधि के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलों को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. सुश्री सुमन सिंह,
पुत्री श्री श्याम सिंह, (जिला पंचायत सदस्य),
ग्राम- खेमपुर, विकास खण्ड व तहसील- गदरपुर,
जिला- ऊधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।